

जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
कलक्टर, जयपुर
प्रमाण संख्या 278/2024 (प्राथमिक विधिक/प्रमाणिक)

प्रार्थी दितीय संस्था

बनाम

श्री कन्हैया लाल महावर पुत्र श्री प्रहलाद महावर
श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री कन्हैया लाल महावर
पता - प्लॉट नं. 58-बी, कल्याणी नगर डी, पुष्पनी टुंगी, विजयपुर, आगरा रोड, जयपुर।

अप्रार्थी/पक्ष

ऋणी एवं मास्टर



The application under section 14 of The
Securitisation and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest Act,
2002

अभिहित -

1. श्री सीमा देवी अधिवक्ता प्रार्थी दितीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 13.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी दितीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.07.2019 को पुनर्मुदान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री कन्हैया लाल के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 58-बी, कल्याणी नगर डी, पुष्पनी टुंगी, विजयपुर, आगरा रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल राशि 15,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी दितीय संस्था को ऋण मुदान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.03.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि एवं ब्याज मुदान नहीं करने पर प्रार्थी दितीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का नौटिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इनवाद उपलब्ध करने की इच्छा व्यक्त की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। दितीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से चुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भरोसाते अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी दितीय संस्था ने अप्रार्थी/पक्षों को कुल राशि 15,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थी/पक्ष ने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 15,22,215/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 12.03.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री कन्हैया लाल के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति मकान नं. 58-बी, रुक्मणी नगर डी, पुरानी चुंगी, विजयपुरा, आगरा रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 100 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 13.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर